अध्याय XVII: वस्त्र मंत्रालय

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

17.1 गृह लाभ प्रोत्साहन के प्रति अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों के उल्लंघन में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने गृह लाभ प्रोत्साहन का भुगतान किया जिससे ₹5.10 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा छठे केन्द्रीय वित्त आयोग की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु संशोधित वेतन संरचना को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जारी आदेशों को वित्त मंत्रालय ने (सितम्बर 2008) स्वायत्त संगठनों, संवैधानिक निकायों आदि, जिनकी वेतन संरचनाएं* केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचनाओं के समान हैं, के लिए लागू किया। वेतन तथा भत्ते समान न होने की स्थिति में वेतनमानों इत्यादि के संशोधन को अंतिम रूप देने हेतु अधिकारियों का एक अलग समूह बनाया जा सकता है परंतु स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित अंतिम लाभ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणी हेतु स्वीकार्य लाभ से अधिक लाभकारक नहीं होने चाहिए। भा.स. द्वारा स्वीकार की गई छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, एक्स., वाई. तथा जेड. वर्गीकरण वाले नगरों/शहरों हेतु मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन की क्रमश: 30, 20 तथा 10 प्रतिशत की दर पर आवास किराया भत्ता (आ.कि.भा.) ग्राह्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निफ्ट ने, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समरूप वेतन संरचना होने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों/अध्यापकों को आ.कि.भ. के बदले में 16 जून 2008 से गृह लाभ प्रोत्साहन (गृ.ला.प्रो.) की

---

* अर्थात वेतनमान तथा भत्ते (विशेष रूप से मंहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता तथा शहर प्रतिपूरक भत्ता)

निश्चित राशि अदा करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2008)। इस प्रकार निश्चित किया गया गृ.ला.प्रो. महानगरों में स्थित कर्मचारियों के संबंध में ₹8,000 तथा ₹20,000 के बीच तथा गैर-महानगरों में स्थित कर्मचारियों के संबंध में स्लैब का 75 प्रतिशत था जो कि केन्द्र सरकारी कर्मचारियों की समकक्ष श्रेणियों को ग्राहय राशियों से अधिक लाभकारी था। परिणामस्वरूप, निफ्ट ने ₹14.49 करोड़ के ग्राहय आवास किराया भत्ते के प्रति जून 2008 से दिसम्बर 2012 (दिल्ली, कांगड़ा, शिलांग केन्द्रों तथा मुख्यालय के संबंध में फरवरी 2013 तक) ₹19.59 करोड़ का गृ.ला.प्रो. अदा किया । इस प्रकार, निफ्ट ने भा.स. के आदेशों के उल्लंघन में ₹5.10 करोड़ का अनियमित भुगतान किया। लेखापरीक्षा को अभिलेखों में उपरोक्त निर्णय पर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिली थी।

निफ्ट ने बताया (दिसम्बर 2013) कि वह अधिकारियों/अध्यायपकों को सरकारी आवास प्रदान करने में असमर्थ था तथा भा.स. के आदेशों के अनुसार देय आ.कि.भ. उपयुक्त आवास हेतु काफी कम था। अत: निफ्ट ने आ.कि.भ. के स्थान पर गवर्नर मंडल (बी.ओ.जी.) के अनुमोदन से गृ.ला.प्रो. देना उचित समझा। तथापि, गवर्नर (बी.ओ.जी.) वित्तीय परिणामों के मद्देनजर इसे वर्तमान बी.ओ.जी. के समक्ष उनके निर्देशों हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2014) कि वित्त मंत्रालय की स्वीकृति नहीं ली गई थी क्योंकि निफ्ट अधिनियम 2006 द्वारा बोर्ड को ऐसे निर्णय लेने हेतु अधिकार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निफ्ट उच्चतर दर पर प्रोत्साहन अदा करने हेतु प्रतिबंधित करने वाले आदेशों से निफ्ट अवगत नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्चतर वित्तीय लाभों सहित गृ.ला.प्रो. को भुगतान से भा.स. के आदेशों का उल्लंघन हुआ था। निफ्ट अधिनियम 2006 के अंतर्गत निफ्ट द्वारा लिए गए निर्णय भा.स. के आदेशों से ऊपर नहीं हो सकते। इसलिए, केन्द्र सरकारी कर्मचारियों को ग्राहय आवास किराया भत्ते से

अधिक गृह लाभ प्रोत्साहन का भुगतान भा.स. के आदेशों के उल्लंघन में अनियमित था।

17.2 जनपथ, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर के निर्माण में असामान्य विलंब

वस्त्र मंत्रालय/उपायुक्त (हथकरघा) द्वारा अपर्याप्त आयोजन तथा निगरानी के परिणामस्वरूप इस उद्देश्य हेतु भूमि के अधिग्रहण के पश्चात 13 वर्षों के बीत जाने पर भी हथकरघा विपणन परिसर का निर्माण नहीं हो पाया। इससे ₹4.25 करोड़ की लागत वृद्धि भी हुई।

विपणन एवं निर्यात संवर्द्धन योजना के अंतर्गत हथकरघा विपणन परिसर के निर्माण हेतु जनपथ, नई दिल्ली में वस्त्र मंत्रालय (व.मं.) को 1.779 एकड़ का एक प्लॉट, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा जून 2001 में ₹39.14 लाख की कीमत पर आवंटित किया गया था। परिसर का निर्माण हथघरघा सदन सहित हथकरघा बुनकर संगठनों के लाभार्थ होना था। विकास आयुक्त (हथकरघा) [वि.आ.(ह.क.)] ने अक्तूबर 2001 में भूमि पर कब्जा ग्रहण कर लिया था। भवन का निर्माण भूमि की सुपुर्दगी की तिथि से दो वर्षों के अंदर अर्थात सितम्बर 2003 तक होना था।

अगस्त 2004[1] में हुई एक बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसरन में, परियोजना को एक फास्ट ट्रैक परियोजना के रूप में लेते हुए इसके नियोजन, आरेखन एवं निष्पादन का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को सौंपा गया था। के.लो.नि.वि. ने वि.आ. (ह.क.) को ₹26.54 करोड़ के अनुमानित लागत के बारे में सूचित किया (अगस्त 2005)। परंतु, सितम्बर 2006 में, के.लो.नि.वि. ने कार्य परिधि में वृद्धि, अर्थात् नई दिल्ली नगर निगम के आदेशानुसार पार्किंग हेतु भूतल में 3759 वर्ग मी. का अतिरिक्त

---

[1] 2001 से 2004 की अवधि के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भवन के अनुमेय ऊँचाई की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी।

क्षेत्र, जहाँ वातानुकूलन उपलब्ध किया जाना था वहाँ क्षेत्र में प्रस्तावित वृद्धि आदि, के कारण अपने पिछले अनुमान को संशोधित कर ₹41.46 करोड़ कर दिया। संशोधित अनुमान में ₹2.16 करोड़ की लागत वृद्धि भी शामिल थी।

वि.आ. (ह.क.) ने जनवरी 2007 में, के.लो.नि.वि. से परियोजना को वापस लेने का निर्णय किया क्योंकि वह कार्य सौंपे जाने के बाद ढाई वर्ष बीत जाने पर भी स्थानीय निकायों से मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। तत्पश्चात परियोजना को हिन्दुस्तान इस्पात कार्य निर्माण लिमिटेड (हि.इ.का.नि.लि.) को दे दिया गया था जिसने कार्य स्थल के प्रत्यक्ष कब्जे (फरवरी 2009) के 19 माह के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रस्ताव रखा। ₹42.00 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ जिसके प्रति अप्रैल 2014 तक ₹42.40 करोड़ की राशि जारी की गयी एवं हि.इ.का.नि.लि. द्वारा ₹1.15 करोड़ का एक अतिरिक्त बिल भी प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा जॉच से ज्ञात हुआ कि के.लो.नि.वि. से कार्य वापस लेने का उद्देश्य निर्माण को यथाशीर्घ पूरा करना था क्योंकि 29 माह (अगस्त 2004 से जनवरी 2007) बीत जाने के बाद भी स्थानीय निकायों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने के कारण के.लो.नि.वि. निर्माण-कार्य आरंभ नहीं कर सका था। हि.इ.का.नि.लि. भी, एक निर्माण-कार्य संस्था के तौर पर कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि अर्थात् 19 माह के प्रति, 63 माह (फरवरी 2009 से अप्रैल 2014) के बाद भी परिसर व.मं. को सौंपने में विफल रहा।

वि.आ. (ह.क.) ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2013) में बताया कि हि.इ.का.नि.लि. के अनुसार निर्माण कार्य आरम्भ न होने के कारण वन विभाग से अनुमति में विलम्ब, कार्य-स्थल पर काफी अंदर तक आर.सी.सी./पी.सी.सी. ब्लॉकों की विशाल मौजूदगी, दुकानदारों द्वारा बाधा जिन्होने जनपथ की तरफ से प्रवेश मार्ग अवरूद्ध करने के अलावा भूमि का काफी अधिक हिस्सा घेरा हुआ था। स्थानीय दुकानदारों द्वारा वाहनों को अप्राधिकृत रूप से खड़ा करना एक प्रमुख बाधा थी। न.दि.न.नि. द्वारा अप्रैल 2010 में एच.टी. ट्रांसफॉर्मरों को

स्थानांतरित किया गया था जिससे गहरे उत्खनन के योजनानुसार कार्यक्रम को प्रभावित किया था।

वि.आ. (ह.क.) ने आगे बताया (मई 2014) कि जनपथ में विपणन परिसर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। तथापि, न.दि.न.नि. से समाप्ति प्रमाणपत्र न मिलने के कारण हि.इ.का.नि.लि. द्वारा वि.आ. (ह.क.) को परिसर का कब्जा नहीं दिया गया था।

वि.आ. (ह.क.) के उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वि.आ. (ह.क.) एवं हि.इ.का.नि.लि. के मध्य परिसर निर्माण हेतु हुए अनुबंध के उपबंध 2 के अनुसार, हि.इ.का.नि.लि. को कार्य-स्थल की बिना किसी बाधा के सुपुर्दगी सुनिश्चित करना वि.आ. (ह.क.) की जिम्मेदारी थी। यद्यपि, फरवरी 2009 में कार्य-स्थल पर अतिक्रमण मुक्त भौतिक कब्जा सौंपे जाने की बात कही गई थी, हि.इ.का.नि.लि. को कार्य स्थल वास्तव में बाधाओं से रहित नहीं था जैसाकि वि.आ.(ह.क.) के उत्तर से स्पष्ट है।

अत:, व.मं./वि.आ. (ह.क.) द्वारा अपर्याप्त योजना एवं निगरानी के कारण हथकरघा विपणन परिसर, जिसका निर्माण सितम्बर 2003 तक हो जाना था, को अप्रैल 2014 तक वांछित उपयोग में नहीं लाया जा सका और ₹4.25 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।